संख्या-17/2016/1049/1-4--2016-रा0-4

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2016**

विषय:-नवनिर्मित मण्डलायुक्त कार्यालय बस्ती मण्डल बस्ती के अनावासीय भवन के भूतल एवं प्रथम तल में साज-सज्जा एवं फर्नीचर आदि का कार्य किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-47/12-भवन -66/97 दिनांक-26 मई 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में नवनिर्मित मण्डलायुक्त कार्यालय बस्ती मण्डल बस्ती के अनावासीय भवन के भूतल एवं प्रथम तल में साज-सज्जा एवं फर्नीचर आदि का कार्य किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0- 1,50, 00,000 /-(एक करोड पचास लाख रूपये मात्र) की निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

1- राजस्व परिषद द्वारा आगणन में उल्लिखित मदों का वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर नियमानुसार प्रश्नगत धनराशि संबंधित को दी जायेगी।

2- बाट आउट आईटम्स पर सेन्टेज एवं कन्टेन्जेन्सी देय नहीं है। 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के अन्तर्गत कार्यालय फर्नीचर एवं कार्यालय मशीनें जैसे फोटो कापियर, फैक्स आदि के व्यय सम्मिलित हैं। इसमें कम्प्यूटर के क्रय के लिए व्यय सम्मिलित नहीं हैा उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3 - राजस्व परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न तो स्वीकृत की गयी हो और न ही अन्य किसी योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित हो।

4- राजस्व परिषद द्वारा उक्त कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समायावधि में ही पूर्ण हो जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

6- राजस्व परिषद द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार करते हुए सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य पूर्ण होने पर नामित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

7- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31-03-2017 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

8- उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनागत- 101 आयुक्त-03-मुख्य कार्यालय -12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।

संख्या-17/2016/1049(1) /1-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परिक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल बस्ती
4- प्रबंध् निदेशक उ0 प्र0 राज्य निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड ।
5- कोषाधिकारी लखनऊ /बस्ती
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in